

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/ 46

दिनांक : 11/4/17

कार्यालय आदेश

M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri (H.P.)-173205 की वर्ष 2015-16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(150)/RMSA/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2015/375 दिनांक 03.03.2015 के तहत औषधि Ciprofloxacin Eye Drops IP 0.3 % w/v [322] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाय करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 950 दिनांक 28/09/2016 एवं 1620 दिनांक 02/12/2016 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में निर्माता फर्म द्वारा, सप्लाय की गयी औषधि Ciprofloxacin Eye Drops IP 0.3 % w/v [322] को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 03 बैचों को description, assay में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त नमूने की description, assay में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस तरह निर्माता फर्म द्वारा अवमानक कोटि की घोषित औषधियों की आपूर्ति की गई है। प्रकरण के संबंध में निर्माता कंपनी को कारण बताओं नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया तथा दिनांक 15/03/2017 को निगम की अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ तथा फर्म द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी। अनुशासन समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि की आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवम प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में परिभाषित है।

निर्माता फर्म को पुनः नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों नहीं आपकी फर्म की औषधि को निविदा शर्तों के अनुसार डिबार कर दिया जाये तथा दिनांक 06/04/2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनवाई के लिये एक बार पुनः अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ तथा फर्म द्वारा कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं की गयी।

निगम की अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग-नीति के क्लॉज 4.6 के तहत निर्माता M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri (H.P.)-173205 की औषधि Ciprofloxacin Eye Drops IP 0.3 % w/v [322] को इस आदेश को जारी करने की तिथि से दो (2) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रय/क्रय आदेश की गई अथवा रीप्लेसमेंट/शुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल असर/प्रभाव डाले की गई है।

—sd—

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/ 46
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक : 11/4/17

- 1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
- 3 मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
- 4 निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए./ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- 5 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
- 6 औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
- 7 औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ हिमाचल प्रदेश।
- 8 निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
- 9 विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
- 10 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेंट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एण्ड ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
- 11 समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
- 12 समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
- 13 M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri (H.P.)-173205
- 14 आदेश पत्रावली।

 कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)
 आर.एम.एस.सी.